न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**
अध्यक्ष

प्रकरण कमांक निगरानी 44–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 15–12–15 पारित द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, धार प्रकरण कमांक 90/अपील/2013–14.

1– ईश्वरसिंग पिता नवलसिंग
निवासी ग्राम नौगॉव
तहसील व जिला धार
2– अर्जुन पिता हेमराज परमार
निवासी ग्राम बंदीछोड मार्ग, धार .....आवेदकगण

विरूद्ध

1– सुगनाबाई बेवा समंदरसिंग
निवासी ग्राम ताजपुर
तहसील व जिला धार
2– सावित्रीबाई पिता समंदर पति गजराजसिंह
निवासी ग्राम पिपलिया
तहसील व जिला धार
3– रेखाबाई पिता समंदरसिंह पति हरीसिंग
निवासी ग्राम लौहारी
तहसील व जिला धार
4– सुनिताबाई पिता समंदरसिंग पति जितेन्द्रसिंग
निवासी ग्राम बग्गड
तहसील व जिला धार
5– गोविन्दसिंग पिता समंदरसिंह
निवासी ग्राम ताजपुर
तहसील व जिला धार .....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक, आवेदकगण
श्री मोहन शर्मा, अभिभाषक, अनावेदक क. 1 से 4

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 9/8/16 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–15 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकगण द्वारा नामांतरण पंजी कमांक 14 पर पारित आदेश दिनांक 30–3–09 के विरूद्ध प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, धार के समक्ष दिनांक 17–1–14 को लगभग 5 वर्ष विलम्ब से प्रस्तुत की गई । साथ ही विलम्ब क्षमा हेतु अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 15–12–15 को आदेश पारित कर अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार किया जाकर प्रकरण अंतिम तर्क हेतु नियत किया गया । अनुविभागीय अधिकारी के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मौखिक एवं लिखित तर्क में, मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं :–

(1) नामांतरण पंजी पर उभय पक्ष की उपस्थिति में आदेश पारित किया गया है, इसलिए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में अन्यायपूर्ण कार्यवाही की गई है ।

(2) अनावेदकगण द्वारा दिन–प्रतिदिन के विलम्ब का कारण नहीं दर्शाया गया है, इसलिए भी विलम्ब क्षमा नहीं किया जा सकता था ।

(3) अनावेदकगण द्वारा जानकारी का जो स्रोत बताया गया है, उसमें व्यक्ति का नाम नहीं है कि किसके द्वारा जानकारी दी गई है, और न ही इस संबंध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है ।

(4) अनुविभागीय अधिकारी द्वारा रूटीनवे में विलम्ब क्षमा करने में त्रुटि की गई है, जबकि उन्हें सकारण आदेश पारित करते हुए विलम्ब के संबंध में निर्णय लेना चाहिए था ।

(5) उभय पक्ष के मध्य माननीय उच्च न्यायालय में अपील विचाराधीन है, जिसमें यथास्थिति के आदेश हुए हैं, फिर भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा प्रकरण में कार्यवाही की जा रही है ।

तर्कों के समर्थन में 2015 आर.एन. 107, 1984 आर.एन. 407 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये ।

4/ अनावेदक कमांक 1 से 4 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि नामांतरण पंजी पर पारित आदेश दिनांक 30–3–09 अनावेदकगण की अनुपस्थिति में पारित किया गया है, और आदेश की संसूचना अनावेदकगण को नहीं की गई है, इसलिए उनके द्वारा जानकारी के दिनांक से समय–सीमा में अपील प्रस्तुत की गई थी,

अतः विलम्ब क्षमा करने में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा किसी प्रकार की कोई त्रुटि नहीं की गई है । यह भी कहा गया कि व्यवहार न्यायालय द्वारा व्यवहार वाद कमांक 1 ए/2014 में दिनांक 16–6–2015 को अनावेदकगण के पक्ष में अस्थायी निषधाज्ञा जारी की गई है, इसलिए भी अनुविभागीय अधिकारी द्वारा विलम्ब क्षमा करने में कोई त्रुटि नहीं की गई है । उनके द्वारा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश स्थिर रखा जाकर निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसीलदार की नामांतरण पंजी को देखने से स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा नामांतरण आदेश पारित करने में अनावेदकगण को किसी प्रकार सूचना नहीं दी गई है, जबकि वे प्रश्नाधीन भूमि में हितबद्ध पक्षकार हैं, ऐसी स्थिति में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा अवधि विधान की धारा 5 का आवेदन पत्र स्वीकार कर विलम्ब माफ करने में किसी प्रकार की कोई अवैधानिकता अथवा अनियमितता नहीं की गई है । आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा इस न्यायालय के समक्ष तर्कों में केवल तकनीकी आधार उठाये गये हैं, और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि तहसीलदार द्वारा अनावेदकगण को सूचना दी गई है अथवा नामांतरण आदेश की जानकारी अनावेदकगण को थी, इसलिए आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अनुविभागीय अधिकारी का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है । वैसे भी प्रकरण का निराकरण सामान्यतः समय–सीमा जैसे तकनीकी आधार पर नहीं कर गुण–दोष पर किया जाना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके । दर्शित परिस्थितियों में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश स्थिर रखे जाने योग्य है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अनुविभागीय अधिकारी, धार द्वारा पारित आदेश दिनांक 15–12–15 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर